राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 52/2021

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

प्रार्थीगण :–

1. रूकमो देवी पत्नि पकाराम उम्र– वयस्क
   जाति – मीना निवासी–सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)
2. हीराराम पुत्र कनाराम उम्र– वयस्क
   जाति – मीना निवासी–देसूरी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30/9/2022**

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के साथ ग्राम–देसूरी की खाता संख्या 1308 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1657/3455 रकवा 2.4000 हेक्टर किस्म बा.अ. में आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) 20 फीट चौडा रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1657 रकवा 1.30 हेक्टर किस्म बा.अ. में से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] से नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका [illegible] रिपोर्ट [illegible] हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/388 दिनांक 14.1[illegible] को [illegible] गया। तहसीलदार [illegible] से दिनांक 06.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जिसे शामिल [illegible]पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 52/2021 अनवान रूकमो देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

4– अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2022/1129 दिनांक 06.07.2022 के जरिये पटवार हल्का देसूरी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम देसूरी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1657/3455 रकबा 2.4000 हेक्टर किस्म बा.अ. में आवगमन के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1657 रकबा 1.3000 हेक्टर किस्म बा.अ. मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1657 रकबा 1..3000 हेक्टर किस्म बा.अ राजकीय सिवायचक भूमि मे से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे उत्तर से दक्षिण 295 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 295 x 20 = 5900 वर्गफीट भूमि बनता है अर्थात 548 वर्गमीटर रास्ता बनता है। जो दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 1282320/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 548 वर्गमीटर की राशि रूपये 70271/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 140542/– बनती है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1657 रकबा 1.3000 हेक्टर राजकीय सिवायचक भूमि में से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे उत्तर से दक्षिण 295 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 295 x 20 = 5900 वर्गफीट भूमि अर्थात 548 वर्गमीटर रास्ता बनता है। जो दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित हो [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1657 में से ही है अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 52/2021 अनवान रूकमो देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1657/3455 रकबा 2.4000 हेक्टर किस्म बा.अ. भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण की मांग अनुसार राजकीय सिवाचयक भूमि खसरा नम्बर 1657 रकबा 1.3000 हेक्टर में से पश्चिम दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण 295 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 295 x 20 = 5900 वर्गफीट अर्थात 548 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 140542/–रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 295 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 295 x 20 = 5900 वर्गफीट अर्थात 548 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 140542/– प्रार्थीगण से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि देसूरी के खसरा नम्बर 1657/3455 रकबा 2.4000 हेक्टर किस्म बा.अ. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1657 रकबा 1.3000 हेक्टर में से पश्चिम दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 295 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 295 x 20 = 5900 वर्गफीट अर्थात 548 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)